कार्यालय प्राचार्य, शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

Website: www.gkhca.in Email - gkhc.abhanpur@gmail.com

क्रमांक / 583 / 2025 अभनपुर, दिनांक 4/12/25

अतिथि व्याख्याता दावा आपत्ति निराकरण

विषय इतिहास

क.	नाम	मेरिट क्रमांक	आपत्ति	निराकरण
01	मनीषा रात्रे	12	रिसर्च पेपर प्रकाशन के संबध में।	* अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के कंडिका 6.3 के अनुसार शोध पत्र केवल यूजीसी केयर जर्नल में प्रकाशन मान्य है।
02	रवि कान्त सिंह	6	जर्नल तथा अनुभव अंक नहीं जोड़ा गया।	* अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के कंडिका 6.3 के अनुसार शोध पत्र केवल यूजीसी केयर जर्नल में प्रकाशन मान्य है। * अतिथि व्याख्याता नीति स्पष्टिकरण पत्र क्रमांक 59/नि.स./आउशि/2024 दिनांक 24.07.2024 के बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार 'पीएचडी/एम.फिल की उपाधि प्राप्त किये जाने तक' प्रकाशित शोध पत्रों पर कोई अंक नहीं दिये जायेगें। * अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के कंडिका 6.4 के अनुसार शासकीय महाविद्यालय में अध्यापन कार्य का अनुभव मान्य है।
03	सुरेश कुमार	7	रिसर्च पेपर प्रकाशन के संबध में।	* अतिथि व्याख्याता नीति स्पष्टिकरण पत्र क्रमांक 59/नि.स./आउशि/2024 दिनांक 24.07.2024 के बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार 'पीएचडी/एम.फिल की उपाधि प्राप्त किये जाने तक' प्रकाशित शोध पत्रों पर कोई अंक नहीं दिये जायेगें।
04	शेख आतिफ	1	अनुभव अंक के संबंध में।	* निराकृत किया गया है।
05	अशोक कुमार यादव	4	रिसर्च पेपर प्रकाशन के संबध में।	* अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के कंडिका 6.3 के अनुसार शोध पत्र केवल यूजीसी केयर जर्नल में प्रकाशन मान्य है। * अतिथि व्याख्याता नीति स्पष्टिकरण पत्र क्रमांक 59/नि.स./आउशि/2024 दिनांक 24.07.2024 के बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार 'पीएचडी/एम.फिल की उपाधि प्राप्त किये जाने तक' प्रकाशित शोध पत्रों पर कोई अंक नहीं दिये जायेगें।

टीपः— अतिथि व्याख्याता भर्ती नीति 2024 का संदर्भित पृष्ठ संलग्न है।

(1) डॉ. स्वाति साहू - संयोजक अतिथि व्याख्याता चयन समिति - [signature] 1.12.25

(2) डॉ. महिमाती सालेन होप्पो प्रभारी इतिहास विभाग [signature] 1.12.25

(3) डॉ मोना चौहान [signature]

(4) अतुल अहिरवार [signature]

(5) डा. दीपा चतुर्वेदी [signature]

[signature] 04/12/2025

(डॉ. प्रदीप कुमार शुक्ला)

प्राचार्य

शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर, जिला - रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय

ब्लाक–03, द्वितीय एवं तृतीय मंजिल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, (छ.ग.)
e-mail:highereducation.cg.gmail.com, website:highereducation.cg.gov.in

कमांक 59 / नि.स. / आउशि / 2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24.07.2024

प्रति,

01. कुलसचिव,
समस्त राजकीय विश्विद्यालय
छत्तीसगढ़

02. प्राचार्य
समस्त शासकीय महाविद्यालय
छत्तीसगढ़

विषय:– सत्र 2024–25 हेतु अतिथि व्याख्याता व्यवस्था संबंधी।
संदर्भ :– ऑनलाईन विभागीय बैठक दिनांक 12.07.2024।

–00–

संदर्भित विभागीय बैठक में महाविद्यालयों के प्राचार्यो द्वारा अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के कुछ बिन्दुओं पर की गई पृच्छा के संबंध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है :–

1. **कालखण्ड संबंधी–** राज्य में एनईपी 2020 लागू होने के उपरांत महाविद्यालयों में एनईपी 2020 पाठ्यक्रम हेतु 60 मिनट का एक कालखण्ड निर्धारित है। पुराने पाठ्यक्रमों के लिए महाविद्यालयों में 40 अथवा 45 मिनट का एक कालखण्ड निर्धारित होने से संयुक्त भवन वाले महाविद्यालयों में कक्षाओं के संचालन में असुविधा हो सकती है। किन्तु कुछ महाविद्यालयों में पृथक–पृथक भवन प्रकोष्ठ होने की स्थिति में पृथक–पृथक अवधि के कालखण्ड को लागू भी किया जा सकता है। **अतएव महाविद्यालयों में उपलब्ध स्थानीय अधोसंरचना को ध्यान में रखते हुए कालखण्ड समान/पृथक–पृथक करने पर विश्वविद्यालय/महाविद्यालय स्तर पर निर्णय लिया जाये।**

2. **शोध–पत्रों पर अंक संबंधी–** पीएचडी/एम.फिल की उपाधि प्राप्त किये जाने तक प्रकाशित शोध–पत्रों पर कोई अंक नहीं दिये जायेंगे। **उपाधि प्राप्ति तिथि उपरांत यू.जी.सी. केयर जर्नल्स में प्रकाशित किये शोध पत्रों पर ही अंक दिये जायेंगे।**

3. **अतिथि व्याख्याता नीति 2024 में अंकित शैक्षणिक योग्यता संबंधी–** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनिमय 2018 की मार्गदर्शिका अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की व्यवस्था/नियुक्ति के लिए आवश्यक अर्हता स्नातकोत्तर स्तर पर 55% (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अपिव (असंपन्न वर्ग)/दिव्यांगजन हेतु 50%)) निर्धारित है। **अतएव अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु स्नातक के अंक देखने की आवश्यकता नहीं है।**

4. **07 घण्टे उपस्थिति संबंधी** – अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक को शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अध्ययनशाला अध्यक्ष/प्राचार्य व्दारा सौंपे गए **शैक्षणेत्तर कार्यो को संपादित करने के दिनों में महाविद्यालयों में 07 घण्टे कार्य करने पर अतिरिक्त मानदेय की पात्रता होगी।**

(शारदा वर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा संचालनालय
इंद्रावती भवन, नवा रायपुर

...रेट हेतु अंकों का निर्धारण :– अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की व्यवस्था हेतु वरीयता सूची तैयार करने के लिए अधिकतम अंको का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा –

(अ) इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ – कुल अंक – 240
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 100 अंक प्रदर्शन एवं साक्षात्कार हेतु)

(ब) शेष राजकीय विश्वविद्यालयों हेतु – कुल अंक– 160
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक + 20 अंक साक्षात्कार हेतु)

(स) महाविद्यालयों हेतु – कुल अंक – 140
(6.1 से 6.4 अनुसार 140 अंक)

6.1 पी–एच.डी./नेट/सेट/एम.फिल के लिये अधिकतम 50 अंक

(क)	पी–एच.डी. के लिए	– 30 अंक
(ख)	नेट/सेट के लिए	– 20 अंक
(ग)	एम.फिल. के लिए	– 15 अंक

6.2 स्नातकोत्तर स्तर पर अधिकतम 50 अंक –
(55 के लिए 5 अंक, 56 से 100 प्रत्येक 01 प्रतिशत के लिए 01 अंक दिया जायेगा)

6.3 शोध पत्रों के प्रकाशन हेतु अधिकतम 10 अंक –
(पी–एच.डी./एम.फिल.में प्रकाशित शोध पत्रों को छोडकर यूजीसी केयर जर्नल्स में प्रकाशित, प्रत्येक शोध पत्र पर 02 अंक)

6.4 अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक –
शासकीय महाविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर –.05 अंक

6.5 अतिथि व्याख्याता/ग्रंथपाल/क्रीडा अधिकारी की वरीयता सूची में प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार होगा :–

श्रेणी– 1	संबंधित विषय में पी–एच.डी.
श्रेणी– 2	नेट/सेट परीक्षा उत्तीर्ण
श्रेणी– 3	संबंधित विषय में एम.फिल. धारक

6.6 अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक :–

अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अनुसार स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के अंको का न्यूनतम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

6.7 विशेष टीप :–

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में सर्वप्रथम अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी की व्यवस्था की जावेगी। श्रेणी–1 के अभ्यर्थी के नाम पर सर्वप्रथम विचार किया जाएगा। इस श्रेणी का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो क्रमशः श्रेणी–2 एवं श्रेणी–3 के अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जाएगा। उक्त तीनों श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक, अतिथि ग्रंथालय सहायक एवं अतिथि क्रीड़ा सहायक की व्यवस्था हेतु शेष अभ्यर्थी के नामों पर विचार किया जायेगा।

2. अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों में उपर्युक्त वर्णित श्रेणियों में निर्धारित योग्यता वाले आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर ही अतिथि शिक्षण सहायक/ग्रंथालय सहायक/क्रीड़ा सहायक के अंतर्गत न्यूनतम अर्हता (स्नातकोत्तर में निर्धारित प्रतिशत) से न्यून अर्हता प्राप्त आवेदकों के आवेदन पर गुणानुक्रम के आधार पर विचार कर चालू शैक्षणिक सत्र के लिए अध्यापन कार्य हेतु आमंत्रित किया जा सकेगा। किन्तु यह व्यवस्था योग्य अभ्यर्थी मिलने पर अथवा केवल चालू शैक्षणिक सत्र के लिए प्रभावशील होगी।

6.8 अतिथि व्याख्याता एवं अन्य द्वारा यदि चालू शिक्षा सत्र में उच्च शैक्षणिक अर्हता अर्जित की जाती है तो समिति द्वारा संबंधित मार्कशीट/उपाधि का सत्यापन करने के दिनांक से वरीयता क्रम में संशोधन एवं बढ़े हुए मानदेय के लाभ की पात्रता होगी। इस हेतु संस्था प्रमुख के समक्ष प्रमाण सहित आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.9 सत्र के मध्य में नियुक्ति अथवा स्थानांतरण से पदस्थापना होने के कारण विस्थापित अतिथि व्याख्याता, अतिथि ग्रंथपाल एवं अतिथि क्रीड़ा अधिकारी को संस्था प्रमुख व्दारा विस्थापन प्रमाण–पत्र के साथ उस सत्र का अनुभव प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराया जायेगा।

7. प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं अभिलेखीकरण :–

7.1 चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

7.2 चयनित अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र (परिशिष्ट–2) देना होगा कि उसके विरूद्ध पुलिस या न्यायालय में कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है, साथ ही वह किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

7.3 कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा परीक्षण में अभिलेख सही पाये जाने के उपरांत कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

संशोधित

शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय अभनपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)

अतिथि व्याख्याता सत्र 2025–26

विषय – इतिहास

क्र.	आवेदक का नाम	मेरिट अंक						कुल मेरिट अंक	CG Domicile	श्रेणी	गुणानुक्रम	रिमार्क
		नेट / स्लेट	पीएचडी.	एम. फिल.	स्नातकोत्तर स्तर का प्राप्तांक मेरिट अंक	रिसर्च पेपर	अनुभव प्रमाण पत्र					
1	Sheikh Atif		30	15	34.55		20	99.55	NO	I	1	संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार छ.ग. के मूल निवासी नही है।
2	Markandey Singh	20	30	15	28.3			78.3	NO	I	2	1. संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार छ.ग. के मूल निवासी नही है। 2. नियमानुसार नेट / स्लेट / एम.फिल / पी.एच.डी. को मिलाकर अधिकतम् अंक 50 से अधिक प्रदाय नही।
3	Navodit Toppo	20	30		26.93			76.93	Yes	I	3	
4	Ashok kumar Yadav	20	30		25.2			75.2	NO	I	4	1.संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार छ.ग. के मूल निवासी नही है। 2.प्रकाशन यूजीसी केयर लिस्टेड जनरल में नहीं है।
5	Shashikant Pandey	20	30		16.06	8		74.06	NO	I	5	संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार छ.ग. के मूल निवासी नही है।
6	Ravikant singh	20	30		22.8			72.8	NO	I	6	संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार छ.ग. के मूल निवासी नही है।
7	Suresh Kumar	20	30		19.7			69.7	NO	I	7	1. शासकीय महाविद्यालय का अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। 2. प्रकाशन यूजीसी केयर लिस्टेड जनरल में नहीं है। 3. संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार छ.ग. के मूल निवासी नही है।
8	Hoblal Sahu		30	15	5.25	10	5	65.25	Yes	I	8	
9	Jeevanlal Jaiswal		30		31.4			61.4	Yes	I	9	
10	Ankur Krishna		30	15	12.43			57.43	NO	I	10	संलग्न प्रमाण पत्र के अनुसार छ.ग. के मूल निवासी नही है।
11	Ganesh Ku. Koshle		30		20.85		5	55.85	Yes	I	11	प्रकाशन यूजीसी केयर लिस्टेड जनरल में नहीं है।
12	Manisha Ratre		30	15	2.25			47.25	Yes	I	12	
13	Amar Narayan	20			34.3	2		56.30	Yes	II	13	
14	Purnima Kanwar	20			12.88		20	52.88	Yes	II	14	
15	Jharna Sharma	20			31.70			51.70	Yes	II	15	
16	Johny	20			31.44			51.44	Yes	II	16	

1
2 matching
3
4
5

17	Chandan	20			26.40			46.40	Yes	II	17	
18	Tomendra Sahu	20			24.44			44.44	Yes	II	18	
19	Geeteshwar	20			23.19			43.19	Yes	II	19	
20	Dhaneshwar Dewangan	20			21.44			41.44	Yes	II	20	
21	Sangeeta	20			15.75		5	40.75	Yes	II	21	
22	Shivendra Pratap Singh Rajput	20			20.37			40.37	Yes	II	22	
23	Kamlesh Sahu	20			18.37			38.37	Yes	II	23	
24	Sanskriti Jaiswal	20			14.37			34.37	Yes	II	24	
25	Shiv Prasad Chauhan	20			14.312			34.312	Yes	II	25	
26	Tanuja Dahariya	20			12.37			32.37	Yes	II	26	
27	Dinesh Kumar	20			10.5			30.5	Yes	II	27	
28	Shankar Jangde	20			8.5			28.5	Yes	II	28	
29	Arti Devi	20			7.57			27.57	Yes	II	29	
30	Rajesh Kumar	20			5.37			25.37	Yes	II	30	
31	Deependra Kumar			15	11		20	46	Yes	III	31	
32	Sujit Kumar Dahariya				10.63		30	40.63	Yes			
33	Kalima Khatun				10.25		5	15.25	Yes			मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न नही है।
34	Veena Rathod				5.75			5.75	Yes			
35	Nemchand Nishad				6.75			6.75	Yes			दिव्यांगजन
36	Lalita Lahri											योग्यता विज्ञापित विषयानुसार नहीं है।
37	Dhal singh Dewngan								Yes			योग्यता विज्ञापित विषयानुसार नहीं है।
38	Manish Yadav								Yes			स्नातकोत्तर कक्षा की अंकसूची संलग्न नहीं है।
39	Prashant Ku. Chaore								Yes			योग्यता विज्ञापित विषयानुसार नहीं है।
40	Hariom singh								NO			योग्यता विज्ञापित विषयानुसार नहीं है।
41	Shubham Gupta											आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त

चयन समिति :–

संयोजक / सदस्य

1. Dr. Swati sahu
2. Dr. M.S.Toppo
3. Dr. Mona Chawhan
4. Dr. Deepa Chaturvedi
5. Mr. Atul Ahirwar

प्राचार्य

प्राचार्य
शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय
अभनपुर, जिला – रायपुर (छ.ग.)